बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधि0सं0–निग / सारा–1 (पथ)–आरोप–58 / 2018– 2826 (S) पटना, दिनांक 21/4/26

श्री उमेश नन्दन सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, डेहरी–ओन–सोन सम्प्रति सेवानिवृत के उक्त पदस्थापन अवधि में OPRMC (Output & Performance Based Road Assets Maintenance Contract) के अंतर्गत पैकेज संख्या–58 में आरा–सासाराम राज्य उच्च पथ के दीर्घकालीन पथ संधारण में पायी गयी गंभीर अनियमितता के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या–9685 (एस), दिनांक 20.12.2018 के द्वारा निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक–9953 (एस) दिनांक 31.12.2018 के द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही संचालन के दौरान श्री सिंह दिनांक 31.03.2020 को सेवानिवृत हो गये, फलतः विभागीय संकल्प ज्ञापांक–5662 (एस), दिनांक 29.09.2020 के द्वारा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया तथा विभागीय अधिसूचना संख्या–5663 (एस) दिनांक 29.09.2020 के द्वारा उनके निलंबन को सेवानिवृति की तिथि 31.03.2020 के अपराह्न के प्रभाव से समाप्त किया गया। श्री सिह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप के बिन्दु निम्नलिखित है :–

(i) पथ के कि0मी0 89 से कि0मी0 57 के विडियोग्राफी रिपोर्ट में लगातार अनेकों स्थान पर Pot holes एवं Patches पाये गये, जबकि PM कार्य माह अप्रैल एवं मई 2014 में कराया गया है, जिसकी Pot Patch मरम्मति भी कराया गया है, परंतु उसकी गुणवत्ता अत्यंत कमजोर प्रतीत होती है।

(ii) पथ के कि0मी0 74 एवं 75 में नोखा के निकट Riding Surface में सुधार की आवश्यकता बतायी गयी है एवं कि0मी0 78 में Patch work कराया जा रहा था, परंतु पथ पर Riding Surface Quality खराब एवं कई स्थलों पर प्रतिवेदित Pots में भी सुधार की आवश्यकता बतलायी गयी है। उक्त पथ का संधारण OPRMC पैकेज (वर्ष 2014 से फरवरी, 2019) के तहत कराया जा रहा है एवं OPRMC Contract की विहित शर्त्तों के अनुरूप पथ की Riding Quality 3500 mm तक रखने की है, परंतु इस पथ की Riding Quality भी पूर्णरूपेण असंतोषजनक पायी गयी जिसके कारण पथ के रख–रखाव की स्थिति अत्यंत ही दयनीय हो गयी।

(iii) OPRMC से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं उसके साथ संलग्न Roughness Measurement Report एवं कतिपय फोटोग्राफ सहित करायी गयी विडियोग्राफी के आधार पर आलोच्य आरा–सासाराम पथ (कि0मी0 89 से 57) के Observed Report के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पथांश के विभिन्न अंतराल पर छोटे–बड़े अनेको Pot holes/patches पाये गये हैं एवं Designation wise Officer's Inspection Report के अन्तर्गत OM मद के Non-compliances के विभिन्न बिन्दुओं को भी उद्धृत किया गया है, जो प्रथम द्रष्टया पथ के रख–रखाव में बरती गयी लापरवाही की पुष्टि प्रतीत होती है।

(iv) . अंकनीय है कि दो माह पूर्व अर्थात सितम्बर, 2018 तक OM (Ordinary Maintainance) घटक के अंतर्गत संवेदक को भुगतान होते रहे है, जिससे यह परिलक्षित होता है कि पथ का बिना रख–रखाव सुनिश्चित कराये संवेदक को भुगतान किया जाता रहा, जो सरकारी राशि का दुरूपयोग एवं संवेदक के साथ मिलीभगत की पुष्टि करता है। इसके लिए श्री सिंह दोषी प्रतीत होते है।

(v) सहायक अभियंता का यह दायित्व है कि वे पथो का निरीक्षण माह में कम से कम दो बार अवश्य की जाय एवं तदोपरांत यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसका Rectification का कार्य responce time में ही संवेदक के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाना अपेक्षित होता है, जिसकी आलोच्य मामले में पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। इस प्रकार श्री सिंह के द्वारा अपने पद पर रहते हुए वांछित कार्रवाई सुनिश्चित नहीं कर विहित पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरती गई।

2. श्री सिंह के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1068 अनु० दिनांक 03.07.2024 से प्राप्त हुआ, जिसमें संचालन पदाधिकारी के द्वारा उक्त सभी आरोपों को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। विभागीय समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से असहमति का बिन्दु सृजित करते हुए विभागीय पत्रांक–5588 (एस), दिनांक 14.11.2024 के द्वारा श्री सिंह से लिखित अभिकथन के रूप में अभ्यावेदन की मांग की गई। असमति का सृजित बिन्दु निम्नवत् है :–

(i) **आरोप संख्या–01** के संबंध में संचालन पदाधिकारी की समेकित समीक्षा मे अन्तर्निहित मंतव्य के अनुसार इसे अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। आपने अपने बचाव–बयान में उल्लेख किया है कि पथ में SDBC का प्रावधान 25mm का है, जबकि उस पथ पर भारी वाहनों का दबाव है, जिसे Pots, Patches, Depression, Edge Damage स्वभाविक है। उन्होंने पथ के मजबूतीकरण हेतु विभाग को संज्ञान में लाया गया तथा इस हेतु पत्रांक–1221 अनु०, दिनांक 28.11.2018 द्वारा प्राक्कलन तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु विभाग को समर्पित भी किया गया है।

आपके बचाव–बयान एवं संचालन पदाधिकारी के मतव्य को एक हद तक मान भी लिया जाय तो कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–01 के निरीक्षण प्रतिवेदन को संलग्न करते हुए नोडल पदाधिकारी, OPRMC ने जो अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है उसमें स्पष्ट रूप से आलोच्य पथ के अलग–अलग पथांशों में पाये गये Pots, Patches एवं Edge Break को इंगित किया गया है।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यपालक अभियंता, उड़नदस्ता पथ प्रमंडल संख्या–01 द्वारा उक्त पथ का निरीक्षण दिनांक 20.11.2018 को किया गया तथा एतद् संबंधी प्रतिवेदन उनके द्वारा दिनांक 22.11.2018 को समर्पित किया गया। पथ प्रमंडल, डिहरी–ऑन–सोन का पत्रांक–1221 (अनु०) दिनांक 28.11.2018 द्वारा उक्त पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु प्राक्कलन तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियंता, भोजपुर पथ अंचल, आरा को समर्पित किया गया। स्पष्ट है कि निरीक्षण के बादमामला उजागर होने के पश्चात् मामले को विभाग के संज्ञान में लाया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आप दिनांक जुलाई 2017 से ही इस प्रमंडल में पदस्थापित थे, किन्तु आपके द्वारा लापरवाही एवं उदासीनता बरतते हुए आलोच्य पथांश के सुधार के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जबकि आपने स्वंय इस बात का स्वीकार किया है कि SDBC का प्रावधान 25mm होने की वजह से आलोच्य पथ मे हमेशा Pots, Patches, Depression, Edge Damage आदि होते रहते है। Pot Patch कराया तो गया हैं, परन्तु इसकी गुणवत्ता काफी कमजोर होने के कारण पथ की स्थिति खराब हुई हैं। इस हद तक आरोप संख्या–01 प्रमाणित प्रतीत होता है।

(ii) **आरोप संख्या–02** के संबंध में संचालन पदाधिकारी की समेकित समीक्षा मे अन्तर्निहित मंतव्य के अनुसार इसे अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है, जबकि आपने अपने बचाव–बयान में उल्लेख किया है कि आलोच्य पथ के Video Graphy Report जो आपको एवं संचालन पदाधिकारी को भी साक्ष्य के रूप में समर्पित किया गया था, में आलोच्पथ–आरा–सासाराम पथ के सम्पूर्ण Stretch का Video Graphy ही Irregular Rough Surface/Patches से भरा हुआ हैं, जो कहीं–कहीं Continuous हैं। इसके अलावा पथ के videography में लगातार Pot Hole दिखायी दिये हैं। अगर बतौर सहायक अभियंता, आपके द्वारा उल्लेखित तथ्यो को एक हद तक मान लिया जाय तो भी आलोच्य पथ के Riding Surface में इस तरह का अनियमितता पाया जाना आपके पथ संधारण संबंधी दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं उपेक्षात्मक प्रवृति को परिलक्षित करता हैं।

(iii) **आरोप संख्या–03** के संबंध में संचालन पदाधिकारी की समेकित समीक्षा मे अन्तर्निहित मंतव्य के अनुसार इसे अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मासिक प्रगति प्रतिवेदन (Form-10) के अवलोकन से प्रतीत होता है कि संवेदक से लगातार कटौति की गयी हैं, लेकिन जैसा कि उपरोक्त कंडिका में भी अंकित किया गया है कि आलोच्य पथ के Videography report में संपूर्ण पथ ही Pot Hole/ Patches/Continuous Patches से भरा हुआ हैं, जिसके कारण इस पथ का Riding Surface Quality भी बेहद खराब हैं। पथ में पाया गया यह अनियमितता सहायक अभियंता का पथ का ससमय संधारण संबंधी उनके विहित कार्य दायित्वों के प्रति उदासीनता एवं उपेक्षात्मक प्रवृति को परिलक्षित करता हैं।

(iv) · **आरोप संख्या–04** के संबंध में संचालन पदाधिकारी की समेकित समीक्षा मे अन्तर्निहित मंतव्य के अनुसार इसे अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है, जबकि इस संबंध में आपके द्वारा उल्लेख किया गया है कि आपने संवेदक के विपत्र से प्रावधानित कटौतियाँ करते हुए किये गये कार्यो का भुगतान किया है, फिर भी आलोच्य पथ से संबंधित आरोप संख्या–01, 02 एवं 03 में पाये गये अत्यधिक Pot/Pot holes/Patches/Continuous Patches एवं खराब Riding Surface से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा पथ के संधारण में अनियमितता बरती गयी हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि आपके द्वारा पथ का बिना रख–रखाव सुनिश्चित कराये संवेदक का भुगतान किया जाता रहा हैं। बतौर सहायक अभियंता आपके द्वारा यह कहा जाना कि संवेदक के विपत्र से कटौति करते हुए भुगतान किया गया हैं, आप पर गठित आरोप की तीव्रता कम नही हो जायेगी, क्योंकि इनके पर्यवेक्षण के अभाव मे ही पथ की स्थिति खराब होती गयी तथा साथ ही Response Time में आपके द्वारा त्रुटियों का निराकरण नहीं कराया गया।

(v) **आरोप संख्या–05** के संबंध में संचालन पदाधिकारी की समेकित समीक्षा मे अन्तर्निहित मंतव्य के अनुसार इसे अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है। इस आरोप के लिए संचालन पदाधिकारी के समेकित निष्कर्ष को अगर एक हद तक मान भी लिया जाय तो बतौर सहायक अभियंता आपके द्वारा आलोच्य पथ के Rectification कार्य कराये जांने के बावजूद भी पथ में अनेक जगहों पर Pot/Pot holes/Patches/Continuous Patches एवं खराब Riding Surface पाया जाना आरोप संख्या–05 को अप्रमाणित नहीं करता है। आलोच्य मामले में पथ के संधारण में आपके द्वारा उदासीनता बरती गयी हैं, जो आपके विहित पदीय दायित्व के अनुकूल नहीं हैं। संचालन पदाधिकारी का यह कथन कि पथांश के कुछ भाग में त्रुटियों का कारण तकनीकी हो सकता हैं–ग्राह्य नहीं हैं, क्योंकि सहायक अभियंता स्वंय तकनीकी पदाधिकारी हैं। पथ की खराब स्थिति के लिए तकनीकी कारणों से वे भली–भांति अवगत होते हैं, जिसका Response Time में Rectification कराया जाना उनका परम दायित्व हैं। पथ की गुणवत्ता बनाये रखना सहायक अभियंता की जिम्मेवारी हैं, जिसमें आप स्पष्ट रूप से विफल रहे हैं।

3. श्री सिंह ने पत्र दिनांक 28.03.2025 के द्वारा अपना द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर समर्पित किया। संचिका में उपलब्ध अभिलेखों से एवं श्री सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन की विभागीय समीक्षा में आरोप संख्या–03 यथा–पथ में बड़े पैमाने पर पाये गये Pot Holes/Defects के कारण उत्पन्न Hazards को समय–सीमा के अन्दर ठीक नहीं कराये जाने एवं आरोप संख्या–05 यथा– पथ का दीर्घकालीन संधारण में पाये गये त्रुटियों का न तो सुधार कराया गया और न ही संवेदक के विरूद्ध अन्य कोई प्रशासनिक कार्रवाई (अर्थात् डिबार करने/कालीसूची में डालने आदि) ही कार्रवाई की गयी, के आरोप प्रमाणित पाये गये है।

4. स्पष्टतः पथ का संधारण उचित गुणवत्ता का नहीं था। पथ के संधारण हेतु कराये गये Patch work काफी कमजोर गुणवत्ता का पाया गया था। पथ के विभिन्न कि०मी० पथांश में कई स्थानों पर गढ्ढ़े पाये गये तथा कई जगहों पर Service Level तक Cracks भी पाये गये है। आरोपी अभियंता द्वारा पथों के निरीक्षण में शिथिलता बरतने के कारण ही पथ की अवस्था जीर्ण–शीर्ण हुई। पथ का उचित रख–रखाव सुनिश्चित कराये बिना संवेदक को OM मद में भुगतान किया जाता रहा, जो सरकारी राशि का दुरूपयोग एवं श्री सिंह के अन्यथा मंशा को दर्शाता है। सहायक अभियंता द्वारा संवेदक पर उचित नियत्रंण सुनिश्चित नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप निरीक्षण के क्रम में पथ की गुणवत्ता कमजोर पायी गयी। स्पष्ट है कि सहायक अभियंता द्वारा दीर्घकालीन पथों के संधारण में गंभीर चूक बरती गयी है। ये संविदा शर्त्तो के अनुपालन कराने में विफल रहे है, जो उनके अक्षमता को दर्शाता है एवं इनके पदीय दायित्व के प्रतिकूल होने का परिचायक है।

5. विभागीय समीक्षा में श्री उमेश नन्दन सिंह के द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा उत्तर को इस हद तक स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। अतएव इनके द्वारा समर्पित उत्तर को सक्षम प्राधिकार के द्वारा अस्वीकृत करते हुए उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, डेहरी–ऑन–सोन सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत **"पेंशन से 02 (दो) प्रतिशत की कटौती 02 (दो) वर्षो तक"** के दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। उक्त निर्णित दण्ड को संसूचित किये जाने से पूर्व नियमानुसार विभागीय पत्रांक–8093 (एस) दिनांक 22.09.2025 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–4900 दिनांक 09.03.2026 के द्वारा विभाग द्वारा निर्णित दण्ड पर सहमति व्यक्त की गयी।

6. उपर्युक्त के आलोक में सम्यक विभागीय समीक्षोपरांत श्री उमेश नन्दन सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, पथ प्रमंडल, डिहरी–ऑन–सोन सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रमाणित पाये गये आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत निम्नलिखित दण्ड अधिरोपित किया जाता है :–

"पेंशन से 02 (दो) प्रतिशत की कटौती 02 (दो) वर्षो तक"

7. श्री सिंह से निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में नियमानुसार अलग से कार्रवाई की जायेगी।

8. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–58/2018– /पटना, दिनांक .....

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–58/2018– /पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित **(द्वारा–आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)**।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–58/2018– /पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि :– सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/उप सचिव (प्र०को०), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, डेहरी–ओन–सोन/अवर सचिव (प्र०को०) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2/3/6/13/14, एवं रोकड़ शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं

निबंधित

श्री उमेश नन्द सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना पत्राचार का पता– कोसडिहरा, डाकघर–कोसडिहरा, थाना–पारसबिगहा, जिला–जहानाबाद, राज्य–बिहार, पिन कोड–804417, मो०नं०–9431271346 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–निग/सारा–1 (पथ)–आरोप–58/2018– 2827(S) पटना, दिनांक 21/4/26

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

20.4.26

सरकार के अवर सचिव (निगरानी),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

20.04.26